न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर

अपील संख्या	रजिस्टर्ड नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
11/48/2021	2021/197	08-10-2021	28-06-2023

01– रामखिलाडी पुत्र रामचन्दर, जाति ब्राहम्ण – (मृतक)
1/1 द्रोपदी पत्नी रामखिलाडी जाति ब्राहम्ण,
1/2 महेश पुत्र रामखिलाडी,
1/3 योगेश पुत्र रामखिलाडी जाति ब्राहम्ण निवासीयान ग्राम बदनगढी तहसील कठूमर जिला अलवर (राजस्थान)
1/4 मीरा पुत्री रामखिलाडी पत्नी बंटी उर्फ योगेश निवासी बदनगढी हाल कुरकैन तहसील नगर जिला भरतपुर
02– रामजीलाल पुत्र रामचन्दर जाति ब्राहम्ण – (मृतक)
2/1 प्रेम पत्नी रामजीलाल,
2/2 दीनदयाल पुत्र रामजीलाल,
2/3 रधुनंदन पुत्र रामजीलाल,
2/4 रमन पुत्र रामजीलाल जातियान ब्राहम्ण निवासीगण ग्राम बदनगढी तहसील कठूमर जिला अलवर (राजस्थान)
03– बाबूलाल पुत्र रामचन्दर जाति ब्राहम्ण निवासीगण ग्राम बदनगढी तहसील कठूमर जिला अलवर (राजस्थान)

– अपीलाण्ट

बनाम

01– तहसीलदार कठूमर जिला अलवर (राजस्थान)
02– चैयरमेन, नगर पालिका खेडली तहसील कठूमर जिला अलवर (राजस्थान)
03– अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका खेडली तहसील कठूमर जिला अलवर (राजस्थान)

– रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध आज्ञा तहसीलदार कठूमर दिनांक 25.10.2012 नामान्तकरण संख्या 257 वाके ग्राम बदनगढी तहसील कठूमर जिला अलवर।

उपस्थितः–
01–श्री श्योराम सिंह नरूका –वकील अपीलान्ट
02–श्री के. जी खण्डेलवाल –वकील रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3
02–श्री दीपक मीना –राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1

–:निर्णयः–

अपीलाण्ट ने यह अपील तहसीलदार कठूमर के निर्णय दिनांक 25.10.2012 नामान्तकरण संख्या 257 वाके ग्राम बदनगढी तहसील मुण्डावर जिसके द्वारा विवादित आराजी

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज०)

खसरा न0 107, 108, 117, 118, 126, 128 को रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 के पक्ष में स्वीकार किया गया है, से व्यथित होकर पेश की है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया एंव तहत अदालत का रिकार्ड तलव किया गया।

विद्वान वकील अपीलाण्टान ने अपनी वहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया है, कि मिन अपीलान्ट संख्या 1 की खातेदारी की आराजी खसरा न0 128 रकबा 1.75 है0 में से 1 बीधा, 107 रकबा 0.44 है0 में से 0.22 है0 वाके ग्राम बदनगढी, मिन अपीलान्ट संख्या 2 की खातेदारी आराजी खसरा न0 126 रकवा 1.75 है0 में से 1 बीधा, 107 रकबा 0.44 है0 में से 0.22 है0 वाके ग्राम बदनगढी एंव इसी प्रकार अपीलान्ट संख्या 3 की खातेदारी आराजी खसरा न0 117 रकबा 0.11 है0, 118 रकबा 0.04 है0 कुल किता 2 रकबा 0.15 है0 वाके ग्राम बदनगढी में स्थित थी। जिसे सैटलमेंन्ट विभाग द्वारा गलत प्रकार से राजस्व रिकार्ड में सिवायचक दर्ज कर दिया गया जिसकी दुरूस्ती हेतु एक राजस्व वाद वावत इन्द्राज व खातेदार काश्तकार घोषित करने हेतु मिन अपीलान्ट के द्वारा दिनाक 24.07.2002 को मुकदमा संख्या 1/149/2002 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर के यहॉ वउनवान रामखिलाडी व अन्य बनाम राजस्थान सरकार वगै0 पेश किया गया। राजस्व वाद का निर्णय दिनाक 07.11.2005 को अपीलान्ट के पक्ष में किया गया, तथा अपीलान्ट को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर गलत इन्द्राज को दुरूस्त करने के आदेश भी जारी किये गये है, न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर के द्वारा पारित निर्णय दिनाक 07.11.2005 की [redacted]जराय की पत्रावली दिनाक 26.10.2010 से उपखण्ड अधिकारी कठूमर के यहॉ विचाराधीन थी, इसी दौनान तहसीलदार कठूमर द्वारा जानबूझकर बिना मिन अपीलान्ट को सुनवाई व साक्ष्य का अवसर दिये बिना आलोच्य नामान्तकरण संख्या 257 रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 के हक में दर्ज कर दिनांक 25.10.2012 स्वीकार किया गया है। तहसीलदार कठूमर द्वारा दिनाक 25.10.2012 को आलोच्य नामान्तकरण दर्ज करने के आदेश किये है, उसी दिन नामान्तकरण का मिलान करते हुये एकपक्षीय कार्यवाही कर निर्णित किया गया है। आराजी खसरा न0 107, 108, 117 में मौके पर धर्मकांटा लगाया हुआ है, अपीलान्ट की तूडी पडी हुई है, दो रिहायशी कमरे भी निर्मित है, जिनमें अपीलान्ट रिहायश किये हुये है, और लगातार मौके पर काबिज होकर उपयोग उपभोग कर रहे है, तथा काश्त कर रहे है। मौके पर कोई सिवायचक नही है। संभागीय आयुक्त जयपुर के आदेश थे कि पूरे राजस्थान में स्थित नगर पालिकाओ के पास में जो भी सिवायचक भूमियॉ हो, जिस पर किसी का कब्जा नही हो, उन भूमियो को नगर पालिकाओ के नाम दर्ज की जावे। जिन आदेशो के तहत अपीलान्ट की खातेदारी की आराजी जो सिवायचक नही थी, मौके पर अपीलान्ट का कब्जा था, बिना अपीलान्ट को सुने बिना नोटिस दिये ही एक तरफा में आलोच्य आदेश पारित किया गया है। तहसीलदार कठूमर के द्वारा आलोच्य नामान्तकरण दर्ज कर निर्णित करने से पूर्व मौके की रिपोर्ट मंगवायी जाती तो अपीलान्ट का मौके पर कब्जा प्रकट होता एवं अपीलान्ट से दस्तावेजो की मांग की जाती, जिस पर अपीलान्ट अपने दस्तावेजात तहत अदालत के समक्ष पेश कर अपना पक्ष रखता। लेकिन तहसीलदार कठूमर के द्वारा विधि के सुस्थापित सिद्वान्तो की पालना न करते हुये आलोच्य नामान्तकरण रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 के पक्ष में बेंजा रूप से दर्ज कर स्वीकार किया गया है। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 आलोच्य नामान्तकरण संख्या 257 दिनाक 25.10.2012 की आड में मिन अपीलान्ट को उनकी खातेदारी की आराजी से जबरन बेदखल करने पर आमदा है। दिनाक 11.04.2018 को मौके पर जेसीबी लेकर आ गये और जबरन मिन अपीलान्ट को बैदखल करने का नाकामयाब प्रयास किया गया तथा धमकी दी कि वो मौका लगते ही अपीलान्ट को उनकी खातेदारी आराजी से बेदखल कर कब्जा प्राप्त करके रहेगे। यदि दौराने अपील रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 द्वारा ऐसा कर दिया तो अपीलान्ट की अपील बेसूद हो जावेगी। तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय दिनाक 25.10.2012 सर्वप्रथम जानकारी मिन

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

अपीलान्ट को दिनाक 11.04.2018 को हुयी जब रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 अधिनस्थ अधिकारी/कर्मचारी मौके पर जेसीबी आदि लेकर आये और आलोच्य नामान्तकरण की आड में अपीलान्ट की खातेदारी की आराजी पर कब्जा करना चॉहा जिस पर मिन अपीलान्ट ने आलोच्य नामान्तकरण की नकल हेतु प्रार्थना पत्र दिनाक 12.04.2018 को पेश किया गया जिस पर नकल मिन अपीलान्ट को दिनाक 13.04.2018 को प्राप्त हुयी। जिस पर कानूनी सलाह मशवरा कर आवश्यक ईन्जाम कर बिना देरी किये अपील पेश की गयी है, आलोच्य नामान्तकरण की जानकारी होने की दिनाक से अन्दर अवधि पेश की जा रही है। आलोच्य नामान्तकरण दिनाक 25.10.2012 की जानकारी होने की दिनाक 11.04.2018 तक का समय लाईल्मी होने के कारण कण्डोन किये जाने योग्य है, इस हेतु प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद अधिनियम का पेश कर निवेदन है, कि अपील अन्दर अवधि मियाद शुमार की जाकर अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जाकर तहत अदालत द्वारा पारित नामान्तकरण संख्या 257 निर्णय दिनाक 25.10.2012 वाके ग्राम बदनगढी निरस्त फरमाया जावे।

विद्वान वकील रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को नकारते हुए निवेदन किया है, कि तहत अदालत तहसीलदार कठूमर द्वारा नामान्तकरण संख्या 257 वाके ग्राम बदनगढी तहसील कठूमर में वर्णित आराजीयात 90 रकबा 0.11, 92 रकबा 0.01, 107 रकबा 0.44, 113 रकबा 0.10, 117 रकबा 0.11, 118 रकबा 0.04, 209 रकबा 0.04, 219 रकबा 0.25 किता 8 कुल रकबा 1.10 है0 भूमि जो राजस्व रिकार्ड में सिवायक दर्ज थी, को मुताबिक आदेश संभागीय आयुक्त जयपुर के पंत्राक प.11( )भू0अ0/423–27 दिनाक 10.04.2012 की अनुपालना में सिवायचक भूमियॉ नगरीय निकायो के नाम हस्तान्तरण नगर पालिका खेरली के नाम दर्ज कर निर्णित किया गया है। अपीलान्ट द्वारा यह अपील तहसीलदार कठूमर के निर्णय दिनाक 25.10.2012 नामान्तकरण संख्या 257 वाके ग्राम बदनगढी के विरूद्व की गयी है, सैटलमेंन्ट विभाग द्वारा विवादित आराजी गलत प्रकार से राजस्व रिकार्ड में सिवायचक दर्ज किये जाने का कथन पूर्णतयाः गलत है। राजस्थान सरकार द्वारा जारी नोटिफिकेशन संख्या 59 दिनाक 03.11.1959 बाबत जप्ती बिश्वेदारी जमीदारी उन्मूलन अधिनियम की धारा 4 के अन्तर्गत तमाम बिश्वेदारी जमीदारी 15.11.1959 से समाप्त हो जाने के आधार पर नामान्तकरण संख्या 57 दिनाक 28.06.1960 के द्वारा जप्ती बिश्वेदारी बहक सरकार की जाकर सिवायचक दर्ज की गयी। उक्त अधिनियम की धारा 5(a) के अनुसार such estate shall stand transferred to and vest in the state government free from all encumbrances इस प्रकार अधिसूचना की प्रभावशीलता में राज्य में निहित भूमि वैधानिकता उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय में ही चुनोती दी जा सकती थी, अन्य किसी न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में नही आती है। अधिसूचना दिनाक 08.12.2010 द्वारा urban ares में समस्त सिवायचक भूमि निकाय को हस्तातरित किये जाने के आदेश किये गये, दिनाक 01.04.2005 से ही समस्त सिवायक भूमि स्थानीय निकायो को हस्तातरित होनी थी, अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 257 दिनाक 25.10.2012 को भूमि सिवायक दर्ज रिकार्ड थी। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर के यहॉ पेश राजस्व वाद में प्रतिवादीगण/प्रतिवादी संख्या 3 तहसीलदार कठूमर उनुपस्थित रहने के कारण एक पक्षीय कार्यवाही कर निर्णय पारित किया गया है। अपीलान्ट द्वारा एक सिविल रिट पिटीशन संख्या 8984/18 उच्च न्यायालय में रामखिलाडी बनाम सरकार वगै0 के विरूद्व प्रस्तुत की गयी है, जिससे राज्य सरकार स्थानीय निकाय जयपुर नगर पालिका खेडली तहसीलदार कठूमर को पक्षकार बनाया हुआ है, जिसमें सभी तथ्यात्मक बिन्दु विचाराधीन है, ऐसी स्थिति में न्यायालय में विचाराधीन अपील का कोई ऑचित्य नही है अपील अपीलान्ट सारहीन होने के कारण खारिज की जावे।

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

जिला अलवर

विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपील में वर्णित तथ्यों को नकारते हुये जाहिर किया है, कि तहत अदालत तहसीलदार कठूमर के द्वारा विधिवत रूप से विधिवत कार्यवाही संभागीय आयुक्त जयपुर के पंत्राक प.11( )भू0अ0/423–27 दिनाक 10.04.2012 की अनुपालना में राजस्व रिकॉड मे दर्ज सिवायचक भूमियॉ नगरीय निकायो के नाम हस्तान्तरण नगर पालिका खेरली के नाम दर्ज कर निर्णित किया गया है। अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया एवं वकील अपीलाण्टान/रेस्पोडेन्ट व राजकीय अभिभाषक की बहस पर मनन किया। सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र दफा 5 कानूनी मियाद पर विचार किया। अपीलान्ट ने अपीलाधीन आदेश नामान्तकरण संख्या 257 निर्णय दिनांक 25.10.2012 वाके ग्राम बदनगढी तहसील कठूमर जिला अलवर के विरूद्व अपील न्यायालय हाजा को दिनाक 20.04.2018 को पेश की गयी है, जो 05 वर्ष, 6 माह पश्चात पेश की गयी है, तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25.10.2012 की सर्वप्रथम जानकारी अपीलान्ट को दिनांक 11.04.2018 को होना अंकित किया है, माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा भी विभिन्न दृष्टान्तों में मियाद के विन्दु पर नरमी का रूख अपनाने का सिद्धान्त प्रतिपादित किया हुआ है। अतः अपील अपीलाण्टान अन्दर मियाद शुमार की जाती है। अपीलान्ट का मुख्य कथन है, कि मिन अपीलान्ट संख्या 1 की खातेदारी की आराजी खसरा न0 128 रकबा 1.75 है0 में से 1 बीधा, 107 रकबा 0.44 है0 में से 0.22 है0, मिन अपीलान्ट संख्या 2 की खातेदारी आराजी खसरा न0 126 रकबा 1.75 है0 में से 1 बीधा, 107 रकबा 0.44 है0 में से 0.22 है0 एंव इसी प्रकार अपीलान्ट संख्या 3 की खातेदारी आराजी खसरा न0 117 रकबा 0.11 है0, 118 रकबा 0.04 है0 वाके ग्राम बदनगढी में स्थित थी। जिसे सैटलमेंन्ट विभाग द्वारा गलत प्रकार से राजस्व रिकार्ड में सिवायचक दर्ज कर दिया गया जिसकी दुरूस्ती हेतु एक राजस्व वाद बाबत इन्द्राज व खातेदार काश्तकार घोषित करने हेतु मिन अपीलान्ट के द्वारा दिनाक 24.07.2002 को मुकदमा संख्या 1/149/2002 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर के यहॉ बउनवान रामखिलाडी व अन्य बनाम राजस्थान सरकार वगै0 पेश किया गया। राजस्व वाद का निर्णय दिनाक 07.11.2005 के द्वारा अपीलान्ट के पक्ष में किया गया, तथा अपीलान्ट को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर गलत इन्द्राज को दुरूस्त करने के आदेश दिये गये है। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर के द्वारा पारित निर्णय दिनाक 07.11.2005 की इजराय की पत्रावली दिनाक 26.10.2010 से उपखण्ड अधिकारी कठूमर के यहॉ पेश की गयी है, इज्रराय की कार्यवाही न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर के यहा विचाराधीन रहते हुये अपीलान्टान को बिना सुने एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाकर नामान्तकरण संख्या 257 निर्णय दिनाक 25.10.2012 वाके ग्राम बदनगढी तहसील कठूमर जिला अलवर पारित किया गया है, वकील रेस्पोडेन्ट का कथन है, कि तहत अदालत के द्वारा अपीलाधीन नामान्तकरण संभागीय आयुक्त जयपुर के पंत्राक प.11( )भू0अ0/423–27 दिनाक 10.04.2012 की अनुपालना में राजस्व रिकॉड मे दर्ज सिवायचक भूमियॉ नगरीय निकायो के नाम हस्तान्तरण नगर पालिका खेरली के नाम दर्ज कर निर्णित किया गया है। अपीलान्ट के द्वारा दिनाक 24.07.2002 को मुकदमा संख्या 1/149/2002 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर के यहॉ बउनवान रामखिलाडी व अन्य बनाम राजस्थान सरकार वगै0 पेश किया गया। राजस्व वाद का निर्णय दिनाक 07.11.2005 के द्वारा अपीलान्ट के पक्ष में किया गया, तथा अपीलान्ट को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर गलत इन्द्राज को दुरूस्त करने के आदेश तहसीलदार कठूमर को दिये गये है, तो उक्त वादगस्त आराजी का नामान्तकरण रेस्पोडेन्टान 2 व 3 कमे नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने के कोई ठोस कारण तहत अदालत तहसीलदार कठूमर के समक्ष नही थे, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा उक्त तथ्यो पर बिना गौर किये ही अपीलाधीन नामान्तकरण

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

संख्या 257 निर्णय दिनाक 25.10.2012 वाके ग्राम बदनगढी तहसील कठूमर पारित किया गया है, जो विधि सम्मत प्रतीत नही होता है। अपील अपीलान्टान स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है, तथा तहत अदालत तहसीलदार कठूमर द्वारा पारित नामान्तकरण संख्या 257 वाके ग्राम बदनगढी तहसील कठूमर निर्णय दिनाक 25.10.2012 अपीलान्ट की हद तक निरस्त किया जाता है। तहसीलदार कठूमर को निर्देशित किया जाता है कि न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी कठूमर बउनवान रामखिलाडी वगै0 बनाम राजस्थान सरकार वगै0 प्रकरण संख्या 1/149/2002 में पारित दिनाक 07.11.2005 के अनुसरण में उक्त वादग्रस्त आराजी का नामान्तकरण अपीलान्ट के नाम दर्ज करने की कार्यवाही करावें। निर्णय की प्रमाणित प्रति तहत अदालत को तहत रिकार्ड के साथ वापिस भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील जमा लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 28.06.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(उत्तम सिंह शेखावत)
अति0 जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर, (राज0)